हाँग काँग में कानूनी सहायता सेवाएँ

(Hindi Version)

कानूनी सहायता विभाग का पता और कार्य का समय

दीवानी कानूनी सहायता आवेदन

हाँग काँग ऑफीस:
25 /एफ क्वीन्सवे गव्हर्नमेंट ऑफीसेस, 66 क्वीन्सवे,
हाँग काँग (टेलि.: 2537-7661)

कॉवलून ऑफीस:
3 /एफ माँगकॉक गव्हर्नमेंट ऑफीसेस, 30 लूएन वॅन स्ट्रीट,
माँगकॉक, कॉवलून (टेलि.: 2380-0117)

ऑफीस समय :

सोमवार से शुक्रवार	सुबह 8:45 से दोपहर 1:00 बजे तक दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक
शनिवार	सुबह 9:00 से दोपहर 12:00 बजे तक

फौजदारी कानूनी सहायता आवेदन

25/एफ क्विन्सवे गव्हर्नमेंट ऑफीसेस, 66 क्विन्सवे,
हाँग काँग (टेलि.: 2537-7738)

ऑफीस समय :

सोमवार से गुरूवार	सुबह 8:45 से दोपहर 1:00 बजे तक दोपहर 2:00 से शाम 5:15 बजे तक
शुक्रवार	सुबह 8:30 से दोपहर 1:00 बजे तक दोपहर 2:00 से शाम 6:00 बजे तक

法援
法律援助署

11/2012

कानूनी सहायता

अदालत की कार्यवाही के लिए जो लोग अपने प्रतिनिधित्व के लिए वकील को पैसा नही दे सकते उन्हे कानूनी सहायता समर्थ बनाती है

कानूनी सहायता विभाग

हाँग काँग में कानूनी सहायता विभाग (‘विभाग‘) ऐसे किसी व्यक्ति को जो अदालत में वादी या प्रतिवादी के रूप में दीवानी या फौजदारी मुकदमा दायर करना चाहता हो, एवम् उसकी आय दी गई सीमारेखा के अंदर हो और उसका मुकदमा उचित हो तो उसे कानूनी सहायता मुहैया कराता है

कानूनी सहायता के लिए आवेदन करते समय कोई फीस लागू नही होती
यदि कानूनी सहायता दी जाती है तो विभाग जिस व्यक्तिको सहायता दी गई है उसके मुकदमें की पैरवी करने के लिए एक वकील का इंतजाम करता है

दीवानी कानूनी सहायता

दीवानी मुकदमें के लिए कानूनी सहायता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंसटन्स, कोर्ट ऑफ अपील और कोर्ट ऑफ फायनल अपील के लिए उपलब्ध है
इसके अंतर्गत तलाक और पारिवारिक अनबन, व्यक्तिगत चोट दावा (उदाहरण के तौर पर काम की जगह पर हुए हादसे की वजह से किया गया दावा या सडक यातायात दुर्घटना), रोजगार विवाद, वेतन से संबंधित दावे और अप्रवास विवाद सम्मिलित हैं

वयाखया के साथ सहायता

यदि कोई आवेदक चीनी या अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता और एक रिशतेदार या दोसत जो मुफत में वयाखया करने वाला न मलि, तो विभाग उसे एक दुभाषिया उपलबध कराएगा। अपने विभाग से पहली यातरा के दौरान किसी भी एक दुभाषिया के लिए सटाफ से पूछें।

फौजदारी कानूनी सहायता

फौजदारी कानूनी सहायता सभी फौजदारी मुकदमों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्स्टन्स और उन अपीलों के लिए जिनकी सुनवाई कोर्ट ऑफ अपील और कोर्ट ऑफ फायनल अपील में होती है इनके लिए उपलब्ध है

कानूनी सहायता शायद निशुल्क नही

जब कानूनी सहायता दी जाती है तब सफल आवेदकों को उनकी वित्तीय क्षमता के अनुसार अंशदान देना पडेगा

मुकदमें की कार्यवाही के फलस्वरूप यदि व्यक्ति को पैसा/सम्पत्ति मिलती है तो उसे पूरा कानूनी खर्चा या उसका कुछ भाग चुकाना पडेगा

कानूनी सहायता के लिए किस प्रकार आवेदन किया जाना चाहिए

जो व्यक्ति दीवानी या फौजदारी कानूनी सहायता के लिए आवेदन देना चाहता है उसे विभाग के ऑफि स में आना होगा

यदि कोई व्यक्ति दीवानी कानूनी सहायता के लिए आवेदन देना चाहता है और वह 18 वर्ष से कम उम्र का है या दिमागी तौर पर अपाहिज है तब आवेदन उसकी ओर से किसी वयस्क व्यक्ति को देना होगा

Published by the Legal Aid Department
Printed by the Government Logistics Department